निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-60 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सदस्य सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **सदस्य/आहरण वितरण अधिकारी सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून** के माह **03/2002** से **02/2017** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **आर. के जयन्त, ले.प. एवं श्री राम सनेही, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **28.03.2017 से 01.04.2017** तक **श्री आर. एस. नेगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

<u>1.परिचयात्मक :</u>प्रथम लेखापरीक्षा। इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री----------, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक ---------- तक ----------,वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह ---------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: **देहरादून**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(राशि रु0 लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2013-14	-	-	48.50	48.10	21.00	15.50	-	-
2014-15	-	-	56.70	53.06	21.75	15.93	-	-
2015-16	-	-	58.01	57.98	20.00	19.52	-	-
2016-17 02/2017 तक	-	-	115.00	54.47	25.40	13.80	-	-

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

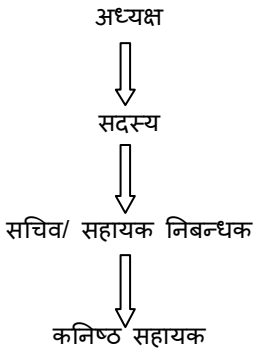

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2004, 3/2006, 03/2010, 09/2012, 09/2013 व 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13 व 16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः 01 ब्याज की धनराशि रु 5108/- शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः01- ब्याज की धनराशि रु 5108/- शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

कार्यालय सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया कि विभाग में Chairman Cooperative Tribunal Uttrakhand Dehradun के नाम भारतीय स्टेट बैंक आँफ इन्डिया राजपुर रोड देहरादून में बचत खाता संख्या 10587409599 संचालित हैं। विभाग के उक्त खाते को चालू खाते में अभी तक परिवर्तित नही कराया गया तथा वर्ष 2005-06 से वर्तमान तक निम्न लिखित धनराशि ब्याज के रुप में खाते में पड़ी हुई थी, जिसे नियमानुसार शासकीय खाते में जमा नही किया गया, विवरण निम्न है।

क्रम सं.	दिनांक	प्राप्त ब्याज की धनराशि
1.	31-12-05	रु 147
2.	30-06-06	रु 162
3.	31-12-06	रु 177
4.	30-06-07	रु 112
5.	31-12-07	रु 149
6.	30-06-08	रु 192
7.	31-12-08	रु 182
8.	31-06-09	रु 146
9.	31-12-09	रु 234
10.	30-06-10	रु 235
11.	31-12-10	रु 224
12.	31-12-11	रु 271
13.	30-06-11	रु 266
14.	30-06-2012	रु 255
15.	31-12-12	रु 265
16.	30-06-13	रु 271
17.	31-12-13	रु 259
18.	25-12-14	रु 260
19.	25-06-15	रु 304
20.	25-12-15	रु 278
21.	25-06-16	रु 284
22.	25-09-16	रु 145
23.	25-12-16	रु 145

24	25-03-17	रु 145
	योग -	रु 5108/-

उपरोक्त बचत खाते में ब्याज की धनराशि रु 5108/- जिसे शासकीय खाते में जमा नहीं की गई। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि विभाग में बचत खाता संचालित है जिसे शीघ्र ही चालू खाते में परिवर्तित कराने हेतु कार्यावाही की जायेगी तथा बचत खाते में पड़ी ब्याज की धनराशि की उच्चाधिकारियों से आदेश लेने के उपरान्त राजकोष में जमा कराई जायेगी। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है

अतः प्रकरण कार्यावाही हेतु उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः 02 निष्प्रोज्य वस्तुओ का विभाग द्वारा नीलामी न किया जाना।

कार्यालय सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड़ देहरादून के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित वस्तुये जो वर्ष 2002 से 2006 के बीच में क्रय की गई थी। कार्यालय के स्टोर में निष्प्रोज्य पड़ी हुई है जिसकी नीलामी की कार्यावाही विभाग द्वारा अभी तक आरम्भ नही की गई जिसके कारण वस्तु का मूल्य ह्रास हो रहा है। निष्प्रोज्य वस्तुओं का विवरण निम्न है।

क्रम सं.	निष्प्रोज्य सामग्री	क्रय की गई वर्ष	संख्या
1.	फोटो स्टेट मशीन	2006	01
2.	कम्पयूटर मानीटर HP	2004	04
3.	यू0 पी0 एस, ए.पी0एस	2004	04
4.	सी0पी0यू0	2004	04
5.	सर्वर सी0पी0यू0	2003	01
6.	की बोर्ड	2004	04
7.	माऊस	2004	04
8.	फोटो स्टेट स्टेप्लाइजर	2006	01
9.	सीलिग फैन	2002	01
10.	स्टील अल्मारी	2002	01
11.	टेलीफोन	2002	02
12.	चाय केटल	2004	02
13.	स्टूल लकड़ी	2004	01
14.	कार छत स्टील	-	01
15.	साइकिल	2004	01
16.	रिकलिग कुर्सी	2004	02
17.	छोटी आर्मलेस कुर्सी	2004	10
18.	मीडियम कुर्सी	2002-05	04
19.	हिन्दी टाइपराइटर	2002	01
20.	मैरिक्स प्रिन्टर	2004	01
21.	एच0 पी0एस0सी0 2410 फोटो मार्ट आल इन वन प्रिन्टर	2004	01
22.	3 सीट बैच	2004	01
23.	पुराना गैस चूल्हा	-	01

उपरोक्त 24 मदे निष्प्रोज्य पडी हुई है जिसकी अभी तक नीलामी की कार्यावाही नही की गई, सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि नीलामी के सम्बन्ध में विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्यावाही की जायेगी तथा निष्प्रोज्य वस्तुओं का अनुमानित मूल्य ज्ञात नही है। विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है, क्योंकि विभाग के स्टोर में निष्प्रोज्य वस्तुये काफी समय से पड़ी हुई है, जिससे वस्तुओ का मूल्य ह्रास हो रहा है।

अतः निष्प्रोज्य वस्तुओं की नीलामी न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या
-----शून्य------	**इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा हैं।**	**इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा हैं।**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः **शून्य**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सदस्य/आहरण वितरण अधिकारी सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये : शून्य

2. **सतत् अनियमिततायें: शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्रीमती इन्दिरा अशीष	अध्यक्ष	06.08.2011	31.03.2014
2.	जी.सी. मैकोटा	सदस्य	01.04.2014	31.03.2014
3.	श्री मंजुक कुमार जोशी	सदस्य	14.12.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सदस्य/आहरण वितरण अधिकारी सहकारी न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र